डिसक्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 08/2024-25 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमआईएएल-मुम्बई/सीपी-IV/2023-24

परामर्श पत्र संख्या 08/2024-25

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई (सीएसएमआईए) के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2024 - 31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 10 मार्च, 2025

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए) ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2021 के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम, 2008 की धारा 2(i) में निर्धारित परिभाषा के अनुसार वार्षिक यात्री आवागमन (थ्रूपुट) की मात्रा के आधार पर प्रमुख हवाईअड्डा है। वित्त वर्ष 2023-24 में इस हवाईअड्डे से यात्री आवागमन मात्रा लगभग 52 एमपीपीए थी और कोविड-19 महामारी के बाद इस यातायात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

सीएसएमआईए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित किया गया था, जिसने बाद में प्रभावी तारीख से 30 वर्ष की अवधि के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 02 मार्च, 2006 को वर्तमान हवाईअड्डा प्रचालक (मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) के साथ प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार (ओएमडीए) किया था।

ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार एमआईएएल ने अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रथम नियंत्रण अवधि, द्वितीय नियंत्रण अवधि और तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप प्रस्ताव।
- 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक की चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी)।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने एमआईएएल द्वारा प्रस्तुत तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2020-24) के वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित आंकड़ों और चतुर्थ नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2025-29) के पूर्वानुमानों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने वर्तमान में उपलब्ध समस्त सूचना, हवाई अड्डा प्रचालक, आईएटीए, एसीआई जैसे उद्योग निकायों और हवाई यातायात संबंधी अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के विचारों को ध्यान में रखकर, सीएसएमआईए के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपने प्रस्तावों को सूचीबद्ध करते हुए यह परामर्श पत्र जारी किया है।

प्राधिकरण परामर्श पत्र में किए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ की समीक्षा और इसमें संशोधन किया जा सकता है।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 10 मार्च, 2025 के परामर्श पत्र संख्या 08/2024-25 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003
ई-मेल director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in,inderpal.s@aera.gov.in प्रतिलिपि : secretary@aera.gov.in,

हितधारक परामर्श बैठक	:	25 मार्च, 2025
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	9 अप्रैल, 2025
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	19 अप्रैल, 2025

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां प्राधिकरण (ऐरा) की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

14 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 2 : प्रथम नियंत्रण अवधि का ट्रू-अप ।

2.7.1 वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को वैमानिक करों की गणना करते समय खर्च के रूप में न मानना।

2.7.2 तालिका 20 के अनुसार वैमानिक कर के ट्रू-अप को मानना।

2.7.3 तालिका 23 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप को मानना।

2.7.4 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप के दौरान 291.78 करोड़ रूपए की अधिक वसूली को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में मानना ।

अध्याय 3: द्वितीय नियंत्रण अवधि का ट्रू-अप।

3.10.1 वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को वैमानिक करों की गणना करते समय खर्च के रूप में न मानना।

3.10.2 तालिका 44 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

3.10.3 तालिका 35 के अनुसार मूल्यह्रास पर प्रभाव और तालिका 50 के अनुसार आरएबी पर प्रतिलाभ को मानना, जैसा कि प्राधिकृत जांच एजेंसी (एआईए) द्वारा जारी स्वत: पूर्ण टिप्पणी (एससीएन) द्वारा निर्धारित किया गया है।

3.10.4 तालिका 51 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए लक्षित राजस्व को ट्रू-अप करना।

3.10.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान 1,278.32 करोड़ रूपए की अधिक वसूली को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में मानना।

अध्याय 4: तृतीय नियंत्रण अवधि का ट्रू-अप

4.14.1 तालिका 52 के अनुसार वास्तविक आकंड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप के लिए यातायात को मानना।

4.14.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्र-अप के लिए तालिका 75 के अनुसार आरएबी और तालिका 81 के अनुसार एचआरएबी को मानना।

4.14.3 *तालिका* 86 और तालिका 87 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्र-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.14.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए एफआरओआर अर्थात 12.81*%* को मानना।

4.14.5 तालिका 129 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक प्रचालन और अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.14.6 तालिका 138 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए गैर- वैमानिक राजस्व को मानना।

4.14.7 तालिका 146 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

4.14.8 वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को वैमानिक करों की गणना करते समय खर्च के रूप में न मानना।

4.14.9 तालिका 142 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक करों को मानना।

4.14.10 तालिका 84 के अनुसार मूल्यह्रास पर प्रभाव और तालिका 149 के अनुसार आरएबी पर प्रतिलाभ को मानना, जैसा कि प्राधिकृत जांच एजेंसी (एआईए) द्वारा जारी स्वत: पूर्ण टिप्पणी (एससीएन) द्वारा निर्धारित किया गया है।

4.14.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य के लिए 937.84 करोड़ रूपए की अधिक वसूली (तालिका 150 के अनुसार) को मानना।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.3.1 सीएसएमआईए के लिए तालिका 154 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात को मानना, जिसे पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ट्रू-अप किया जाएगा।

अध्याय 6: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

6.8.1 तालिका 219 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए औसतन आरएबी और औसतन एचआरएबी को मानना

6.8.2 तालिका 212 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना

6.8.3 तालिका 208 में उल्लेख किए अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत नहीं होती है तो लक्षित राजस्व से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1% राशि घटाना (समायोजित करना)। पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगी।

6.8.4 तालिका 203 के अनुसार *चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए निवेश कर जमा राशियों को मानना और* केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।

6.8.5 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरएबी की गणना करते समय औसत आरएबी को मानना और पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय यथानुपात आधार पर आरएबी में वास्तविक परिवर्धनों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय, मूल्यह्रास और आरएबी को इनके उपयुक्त, कार्यक्षम और औचित्यपूर्ण होने की शर्त पर इन्हें ट्रू-अप करना।

अध्याय 7 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.3.1. तालिका 227 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ईक्विटी की लागत, ऋण की कार्यक्षम लागत, काल्पनिक ऋण ईक्विटी अनुपात और एफआरओआर को मानना।

7.3.1. पचंम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक (या) एसबीआई औसत एक वर्ष एमसीएलआर प्लस 150 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को ट्रू-अप करना।

अध्याय 8 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.4.1 तालिका 229 में दिए गए विवरण के अनुसार, 90वें आरबीआई पूर्वानुमान सर्वेक्षण के आधार पर एमआईएएल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार) को मानना।

अध्याय 9 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

9.4.1 तालिका 283 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.4.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को ट्रू-अप करना।

अध्याय 10 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

10.3.1 सीएसएमआईए के लिए तालिका 298 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व और 'एस' फेक्टर को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय गैर-वैमानिक राजस्व के ट्रू-अप को मानना, यदि यह तालिका 297 में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित राजस्व से उच्चतर हो।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 वैमानिक करों का परिकलन करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना।

11.3.2 तालिका 301 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों को मानना।

अध्याय 12: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण लक्षित राजस्व में किसी भी समायोजन को नहीं मानना (संदर्भ: पैरा 12.2.6)।

अध्याय 13 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लक्षित राजस्व (टीआर)

13.3.1 छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 306 के अनुसार लक्षित राजस्व और वाईपीपी को मानना।

13.3.2 मायल को यह निदेश देना कि वे वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) यह परामर्श पत्र जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दें, जिसे हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

15 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

15.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 14–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

15.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

15.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 9 अप्रैल, 2025 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण,
तृतीय तल, **उडान भवन**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.

(अध्यक्ष)